REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 9 | JUNE - 2019

वर्तमान परिपेक्ष्य में लोकसेवक के प्रकृति एवं महत्त्व (भारत के सन्दर्भ में)

ओमप्रकाश मेहरड़ा (प्राचार्य)
गुरूग्राम डिग्री कॉलेज, चक 5 बीएलएम, श्रीविजयनगर,
तहसील श्रीविजयनगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सारांश

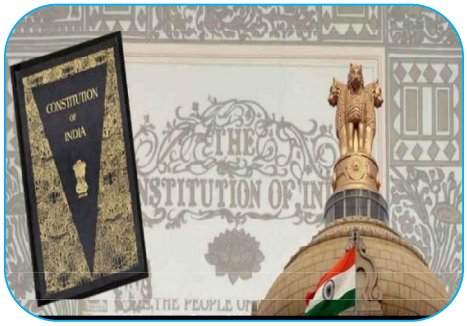

लोक सेवाओं से अभिप्राय है कि ऐसे कर्मचारी/अधिकारी/लोकसवेक जो एक निश्चित आयु यानि सेवा निवृति तक योग्यतानुसार बने पद पर कार्य करते रहते है। ये ऐसे लोकसेवक होते है, जो बिना कि द्वेष लगातार अपने पद पर कार्य करते है। इनकी नियुक्ति लोकसेवाओं से होती है। लोक सेवाएँ आधुनिक राज्य की स्थाई कार्यपालिकाएँ है। संसद, मंत्रिमण्डल तथा राजनैतिक कार्यकर्त्ता समय–समय पर बदलते रहते है किन्तु लोक सेवाएँ स्थाई रूप से शासन संचालन में भाग लेती है। एक राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त सेवाएं लोक सेवकों के माध्यम से ही जन–साधारण तक पहुंचती है। प्रो.एल.डी. व्हाइट के मतानुसार, ''लोकसेवाएं प्रशासकीय संगठन या एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है।'' डॉ. हरमन साइमन ने लोक सेवाओं का प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य माना है।

लोकसेवाओं को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है : सैनिक तथा असैनिक। लोक प्रशासन का संबंध असैनिक सेवाओं से है।

भारत के सन्दर्भ में अध्ययन करने पर हमें मालूम होता है कि भारत में विभिन्न प्रकार के शासकों से गुलामी के बाद लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था अपनाई गई, जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की विभिन्न शासन व्यवस्थाओं को त्याग कर अपनाई गई, जिससे लोकसेवकों को अधिक दायित्व से अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है क्योंकि जब भी किसी देश/काल में शासन द्वारा नई शासन प्रणाली अपनाई जाती है, तो हमें बहुत से कठिनाईयों को सामना करना पड़ता हद्यै। उन कठिनाईयों के निराकरण के लिए शासन द्वारा विद्वानों की सलाहनुसार आयोगों का गठन किया जाता है। अब हम विस्तृत रूप से लोकसेवाओं का अध्ययन करेंगे।

लोकसेवाओं की प्रवृति एवं विशेषताएँ :–

(1) कुशल कार्यकाल :– लोक सेवक केवल अपने कार्य में ही नहीं वरन् संगठन के अन्य कार्यकर्ताओं के कार्यों में भी पर्याप्त रूचि तथा निपुणता रखते है। इन्हें अपने कार्य के लिए विशेष प्रशिक्षण तथा अनुभव प्राप्त होता है।

(2) राज्य व्यवस्था का अनिवार्य अंग :– किसी देश का राजनीतिक स्वरूप, आधार, संगठन, प्राकृतिक स्त्रोत, सरकार का रूप आदि चाहे किसी भी प्रकार का हो किन्तु उसे लोक सेवा की आवश्यकता अवश्य होगी। इसका कारण यह है कि लोक सेवाएं राज्य की नीति रचना एवं कार्यान्विति जैसे मूलभूत कार्यों में सहयोग देती है।

(3) वेतनयोगी कार्यकर्ता :– लोक सेवाएं अवैतनिक कार्य करने वाले लोगों का संगठन नहीं होती,

वरन् इनके सभी सदस्यों का नियमानुसार निर्धारित वेतन प्राप्त होता है। वेतन की मात्रा पद के दायित्व, योग्यता, जोखिम, श्रम आदि के आधार पर निश्चित की जाती है।

(4) स्थाई कार्यकाल :– लोकसेवक निश्चित समय एवं आयु तक अपने पद पर कार्य करते है। यही कारण है कि लोक सेवाएं जीवनवृति के रूप में अपना ली जाती है। राजनीतिक दलों के दांव–पेचों तथा राजनीतिक नेतृत्व बदलने का इनके ऊपर प्रायः कम असर होता है।

(5) प्रशिक्षित कार्यकर्ता :– लोकसेवकों को उनके कार्यों तथा दायित्वों का समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है, वे गैर–अनुभवी नहीं होते। उन्हें दिए गए प्रशिक्षण का संबंध केवल उनके पद के दायित्वों से ही नहीं वरन् उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने तथा उन्हें सम्पूर्ण प्रशासनिक संगठन के लक्ष्य और आदर्शों को समझाने में भी रहता है।

(6) पद सोपान का सिद्धान्त :– लोक सेवाओं के कर्मचारी कार्य दायित्व और सता के आधार पर विभिन्न सोपानों के रूप में संगठित किए जाते है। उच्च सोपानों पर आसीन कर्मचारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश देते है तथा उनके कार्यकलापों के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त करते है। अधीनस्थ कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी के निरीक्षण और नियन्त्रण में रहकर कार्य करते है।

(7) अनामता का सिद्धान्त :– लोकसेवा के सदस्य जो कार्य करते है। उसकी निन्दा अथवा श्रेय के भागीदार वे स्वयं नहीं बनते। वे पर्दे के पीछे रहकर बिना अपना नाम सामने लाए ही सारे कार्य सम्पन्न करते है। कार्यों का सारा श्रेय जन प्रतिनिधियों को ही दिया जाता है।

(8) तटस्थ दृष्टिकोण :– लोक सेवा के सदस्य स्थाई कर्मचारी होते है जबकि राजनीतिक नेतृत्व समय–समय पर बदलता रहता है। ऐसी स्थिति में व्यावहारिक सुविधा के लिए वे राजनीतिक तटस्थता का दृष्टिकोण अपनाते है। यदि सताधारी दल की नीतिों के साथ समर्पण की भावना रहती है, तो यह भी उनके व्यापक तटस्थ दृष्टिकोण की ही प्रतीक है।

(9) भावुकता का अभाव :– लोक सेवाएं अपने दायित्वों का निर्वाह करते समय प्रायः भावनाओं से ही प्रभावित नहीं होती वरन् यह नियमों के परिपालन में भी रूचिशील रहती है। लोक सेवक किसी विशेष दृष्टिकोण से प्रभावित होकर किसी बात का समर्थना अथवा विरोध नहीं करते। देश के सभी वर्गों विचार धारणाओं क्षेत्रों और स्तरों के लोगों के लिए लोक सेवक का व्यवहार तथा दृष्टिकोण एक समान रहता है। सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए, ये समग्र दृष्टिकोण अपनाते है।

(10) उत्तरदायित्त्व की भावना :– प्रत्येक लोक सेवक कुछ सीमाओं और मर्यादाओं में रहकर अपने दायित्व पूरे करता है। यह देश की व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के नियन्त्रण तथा निर्देशन में उसे सौंपे गए कार्य सम्पन्न करता है। स्वयं जनता और जनता के प्रतिनिधि लोक सेवक के व्यवहार पर अपनी निरीक्षणात्मक दृष्टि रखते है।

(11) जीवनवृत्ति के रूप में :– लोकसेवक अपने पद पर जीवन–पर्यन्त अर्थात् सेवा निवृत्ति की आयु तक कार्य करते है। लोक सेवाओं को यथा सम्भव आकर्षक बनाने की चेष्टा की जाती है।

आधुनिक विश्व में लोकसेवाओं का (महत्त्व भारत)

आधुनिक भारत में लोकसेवाओं का महत्व निम्नानुसार है :–

1. सामाजिक जीवन :– लोकसेवाएं निष्पक्ष एवं कर्त्तव्य निष्ठता से कार्य करने से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित तथा सुरक्षित रखती है तथा समाज मं हर मानव अपना जीवन शान्ति पूर्ण रह सकता है।

2. मंत्रियों की घोषणा :– मंत्री अपने दौरों के दौरान जगह–जगह विभिन्न घोषणाएं करते है, जो घोषणाएं व वादे मंत्रियों द्वारा किये जाते है। उनके प्रति लोक सेवक सजग रहते है। लोक सेवाओं के माध्यम से मंडियों द्वारा जनता को दिये गये आश्वासनों को मूर्त रूप दिया जाता है अथवा उन्हें व्यवहार में क्रियान्वित किया जाता है।

3. नीति निर्माण :– लोकतंत्र में नीति निर्माण महत्वपूर्ण कार्य कार्य है, जो नीति निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। उसको सही रूप में ये कार्य लोकसेवकों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लोक सेवाएं नीति निर्माण में भी मुख्य भूमि का निर्वाह करती है।

4. सभ्यता का संरक्षक :– लोक सेवक सभ्यता के संरक्षक होते है। भारतीय सभ्यता को संरक्षक प्रदान करने के लिए विद्वानों एवं विशेषज्ञों द्वारा समय–समय पर संगोष्ठी, सेमीनार एवं परिचर्चाओं का आयोजन करवाया

जाता है। इस कारण लोक सेवाओं को सभ्यता के संरक्षण के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। वे भावी पीढ़ियों के लिए सभ्यता को सुरक्षित रखने में अहम् भूमिका का निर्वाह करते है, जिससे आने वाली पीढ़ी अपनी सभ्यता की जानकारी प्राप्त करती है।

5. जनसेवा :– लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में बच्चे के जन्म से उसके अन्तिम कार्यकलाप तक समय–समय पर विभिन्न दायित्वों का निर्वाह सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार के ये समस्त कार्य लोकसेवकों द्वारा किये जाते है। इससे यह प्रतीत होता है कि लोकतंत्र में लोकसेवाएं जनसेवा को समर्पित होती है। उनका प्रथम और सर्वोपरि लक्ष्य जन–हित की भावना को साकार करना होता है।

6. प्रजातंत्र की सफलता :– प्रजातंत्र की सफलता के लिए पंचवर्षीय योजनाएं, विभिन्न आयोग, लोक से संबंधित सेवा (चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, यातायात, संचार और सैन्य सेवाएं) आदि का फसल संचालन किया जाता है, जो कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रजातन की सफलता में भी लोक सेवाओं का अपूर्व महत्व है।

निष्कर्ष :– भारत में संसदीय प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था का संचालन होता है। इस प्रकार की व्यवस्था में सार्वजनिक कार्यों के अतिरिक्त दैनिक कार्यकलापों में ही सरकार का हस्तक्षेप रहता है और यह हस्तक्षेप भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्त्तव्य और मौलिक अधिकारों के कारण अधिक बढ़ गया है। इन कार्यकलापों को सरकार द्वारा लोकसेवकों के माध्यम से करवाया जाता है क्योंकि लोकसेवक स्थायी, वेतनभोगी, प्रशिक्षित, पद सौपान, अनामता, तटस्थता और भावुकता की प्रवृति होती है। सरकारें आती जाती रहती है तथा ये लोकसेवाएं अपना निर्वाह उचित प्रकार से करती है। हम यश्ह भी कह सकते है कि शासन लोकसेवकों द्वारा चलाया जाता है तथा दो ही लोकतंत्रीय शासन का संचालक होते है। कहे तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। फिर भी जनता का अपने जनप्रतिनिधियों से लोकसेवकों पर दबाव रहता है, जिससे दो अपने कार्यों का सही निर्वाह करते है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. लोक संवीवर्गीय प्रशासन : डॉ. सी.एम.जैन
   डॉ. हरिशचन्द्र शर्मा
   डॉ. ए.एस. राठौड़
2. लोक प्रशासन : डॉ. बी.एल. फड़िया
3. भारत के लोक प्रशासन : डॉ. बी.एल. फड़िया
4. भारतीय का संविधानः डॉ. बी.डी.डी. शर्मा
5. दैनिक राजस्थान पत्रिका
6. दैनिक भास्कर
7. दैनिक सीमा सन्देश
8. भारत में स्थानीय स्वशासन : डॉ. अशोक शर्मा
9. तुलनात्मक लोकप्रशासन : त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी
10. भारत में राज्य प्रशासन : डॉ. रमेश अरोड़ा
    डॉ. गीता चतुर्वेदी
11. प्रशासनिक संस्थाएँ : डॉ. बी.एल. चड़िया

ओमप्रकाश मेहरड़ा (प्राचार्य)
गुरूग्राम डिग्री कॉलेज, चक 5 बीएलएम, श्री विजयनगर,
तहसील श्री विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)